न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	119 / 2025	सी सी एम एस नम्बर	2025 / 234
दायर दिनांक	08.08.2025	निर्णय दिनांक	20.08.2025

01. मानाराम पुत्र पुंजाराम जाति भील निवासी ग्राम जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
02. भोमाराम पुत्र शंकरराम जाति भील निवासी ग्राम जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
03. बिन्दु पत्नी जगदीशचन्द्र जाति भील निवासी ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

—वादीगण

बनाम

01. दुर्गाराम पुत्र पुंजाराम जाति भील निवासी ग्राम जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी
2. श्री मोहम्मद रफीक अधि. प्रतिवादी सं. 1
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 412/2 रकबा 11.3312 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 की और से वकील मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 412/2 रकबा 11.3312 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 412/2 रकबा 11.3312 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	दुर्गाराम 1/2 हिस्सा, मानाराम 1/2 हिस्सा पि. पूंजाराम जाति भील सा. देह खातेदार रहन इंडियन बैंक शाखा, फलोदी	जैमला	412/2	2.2662 हैक्टेयर	बी–4
2	भोमाराम पुत्र शंकरराम जाति भील सा. देह खातेदार	जैमला	412/2	2.5899 हैक्टेयर	बी–4
3.	बिन्दू पत्नी जगदीशचन्द्र जाति भील सा. ओलवी तहसील बिलाड़ा खातेदार	जैमला	412/2	6.4751 हैक्टेयर	बी–4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/6/25

(सुखाराम पिण्डेल आरएएस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. मानाराम पुत्र पुंजाराम जाति भील निवासी ग्राम जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
02. भोमाराम पुत्र शंकराराम जाति भील निवासी ग्राम जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
03. बिन्दु पत्नी जगदीशचन्द्र जाति भील निवासी ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

—वादीगण

बनाम

01. दुर्गाराम पुत्र पुंजाराम जाति भील निवासी ग्राम जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 119/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व मोहम्मद रफीक प्रतिवादी सं. 1 मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 412/2 रकबा 11.3312 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

क्र.स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	दुर्गाराम 1/2 हिस्सा, मानाराम 1/2 हिस्सा पि. पूंजाराम जाति भील सा. देह खातेदार रहन इंडियन बैंक शाखा, फलोदी	जैमला	412/2	2.2662 हैक्टेयर	बी–4
2	भोमाराम पुत्र शंकराराम जाति भील सा. देह खातेदार	जैमला	412/2	2.5899 हैक्टेयर	बी–4
3.	बिन्दू पत्नी जगदीशचन्द्र जाति भील सा. ओलवी तहसील बिलाड़ा खातेदार	जैमला	412/2	6.4751 हैक्टेयर	बी–4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.06.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।